14.7.17 पत्रावली। आज राजस्व कैम्प कोर्ट न्याय आपके द्वार 2017 के कैम्प चौहटन में पेश हुई। पैशकार राज उप0। पेशकारराज को सुना गया। पैशीकार राज का कथन था कि वादी द्वारा यह वाद सरकारी भूमि हड़पने की नीयत से पेश किया गया है। वादी की भूमि का खसरा न 534 दर्ज हुआ है जिसका नक्शा ट्रैस सटलमेंट विभाग द्वारा आज से 60 वर्ष पहले जारी किया गया था। अगर उक्त ~~भूमि~~ खसरा का भाग वाद में वर्णित भूमि होती तो उस वक्त सटलमेंट अधिकारियों के समक्ष अपनी उजरदारी पेश करते। वाद में खेत ख.न. 534 का रकबा 51.17 बीघा का नक्शा सटलमेंट ~~इस~~ विभाग द्वारा जारी किया गया है जो राजस्व रेकर्ड में भी 51.17 बीघा भूमि है। अतः उक्त खसरे का रकबा 109.02 बीघा भूमि किसी भी सूरत में नहीं किया जा सकता है। ख.न. 534 ~~के~~ रकबा 51.17 बीघा के स्थान पर 109.02 करना रेकर्ड से बिल्कुल परे है। पेशीराज को सुना गया पत्रावली का अध्ययन व अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि वादी ने राजकीय भूमि हड़पने की नीयत से झूठे तथ्यों के आधार पर वाद पेश किया है। अतः वादी का वाद राजकीय भूमि हड़पने की नीयत से झूठे तथ्यों के आधार पर पेश किया जाने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर (SDO) चौहटन